राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांकःF4(36)NREG/3/09 जयपुर,दिनांकः 14 MAY 2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त,राजस्थान

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में निर्मित कृषि कुण्ड के पास फलदार पौधे लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत केटेगरी-4 के कामों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/ जन जाति एवं बी.पी.एल. परिवारों की भूमि पर कृषि कुण्डों का निर्माण करवाया गया है। इस प्रकार के निर्माण प्रमुखतया जहां वर्षा की कमी रहती है, उन क्षेत्रों में अत्यन्त उपयोगी है। इन कुण्डों के निर्माण से उन परिवारों एवं उनके खेतों के लिए पानी की उपलब्धता हुई है। इनका पूरा लाभ ये परिवार उठा सके, इस हेतु उस पानी का सदुपयोग करना आवश्यक है।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा इस हेतु इन कृषकों की भूमि पर फलदार पौधे लगवाने से उनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। पौधों की सिंचाई हेतु बूंद-बूंद सिंचाई पद्वति का लाभ उन्हें दिया जाना उपयुक्त होगा। दिनांक 20 मई, 2009 से कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा **"किसान महोत्सव"** आयोजित किया जायेगा। इस दौरान इस कार्य को गति दी जा सकती है।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आपके जिले के उन कृषकों की सूची कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को दे दी जावे, जिनकी भूमि पर ये कृषि कुण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत बनाये गये हैं। इस कार्य की आप द्वारा नियमित समीक्षा भी किया जाना उपयुक्त होगा।

भवदीय,

14/5/09

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव,ग्रा.वि.एवं आयुक्त, ईजीएस